प्राप्त – 16/2/2017

पंजीकृत / दस्ती

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्याः A(D)–22823 / 2016

अपील अन्तर्गत धारा 19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

अपीलकर्ता श्री बी0सी0 बृजवासी, 6 / 130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल

बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून

नोटिस

अपीलकर्ता श्री बी0सी0 बृजवासी, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 26.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से **19.04.2017 (बुधवार)** को आयोग कार्यालय, **सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून** में वाद सूची के क्रम के अनुसार **10.30 बजे** से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम–3 और नियम–4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉंक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **19.04.2017** को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील–मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा

स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका

द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां

ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

न. **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

श्री रावत (S.O) PIO

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा

स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

द. **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

16/2/17 ACEO

ह0 / –

(शत्रुघ्न सिंह)

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 1809 / उ.सू.आ. / अपील / 2016–17 / (CIC) दिनांक 14.02. 2017

प्रतिलिपि

1. श्री बी0सी0 बृजवासी,, 6 / 130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
2. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4–सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. **विभागीय पत्रावली।**

(झरना कमठान)

सचिव

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे

(प्रारूप – "ख")

1.	प्रथम अपील / विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	प्रथम अपील / विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	
5.	प्रथम अपील / विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	
6.	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

पूर्ण पता ....

दूरभाष / फैक्स न0 / मो0न0..

ई–मेल आई.डी...

26 DEC 2016
13086

सेवा में,

मा० मुख्य सूचना आयुक्त महोदय
मा० उत्तराखंड सूचना आयोग (देहरादून)

विषय - [द्वितीय अपील अंतर्गत सू० अ० अ० 2005]

(I) लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन (उत्तराखंड शासन)
(II) प्रथम अपीलीय अधिकारी (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन
(III) डिम्ड-लोक सूचना अधिकारी (कार्मिक) उत्तराखंड शासन
(IV) डिम्ड-लोक सूचना अधिकारी (जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल

6(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
18	P.S.	Dy. Secy.

महोदय,

(1) अपीलकर्ता ने (5) बिन्दुओ पर सूचना चाहने हेतु लो० सू० अ० (निर्वाचन) को अनुरोध पत्र 13-10-2016 प्रस्तुत किया संलग्नक (1)

(2) लो० सू० अ० निर्वाचन ने भ्रामक / अपूर्ण सूचना दी जो संलग्नक (2) है

(3) बिन्दु संख्या (2)(3),(5),(4) की सूचना भी डिम्ड लोक सूचना अधिकारियो ने भी नहीं दी

(4) कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के लोक सूचना अधिकारी ने 8-11-2016 के पत्र द्वारा अवगत कराया कि बिन्दु (1) से (5) तक की सूचना निर्वाचन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा दी जानी है। संलग्नक (3)

(5) अपीलकर्ता द्वारा 2-11-2016 को प्रथम अपील करने के पश्चात भी चाही गयी सूचना प्राप्त नहीं हुयी संलग्नक संख्या (4)

अतः मा० आयोग से निवेदन है कि - - -

अपीलकर्ता के सूचना के अनुरोध पत्र 13-10-2016 के (5) बिन्दुओ पर चाही गयी सूचना धारा 7(6) के तहत निशुल्क प्रदान कराने की कृपा की जाये!

दि० 15-12-2016

अपीलकर्ता

बी० सी० बृजवासी
पता - 6/130 तल्ली बमोरी
नवाबी रोड (हल्द्वानी)
नैनीताल

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय - आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० 2005

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है!

1-: अरविन्द चौहान एवं भाष्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो भीष कुमार वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये!

2-: अपनी सेवा के लगभग 22 वर्ष में से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी महाप्रबन्धक कु०म०वि०नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी भीष कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलाशा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणों सहित प्रदान की जाये!

...ल आर्डर
₹ 10
...STAL ORDER
अदा करना
whom payable
किस डाकघर में
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent
33F 853862

SP HALDWANI HO (263139)
EV611671502IN
Counter No:1,OP-Code:01
To:FRAMUKH SACHIV,
DEHRADUN, PIN:248001
From:BHASKAR CH,
Wt:25grams,
PS:30.00, 13/10/2016, 10:25
Taxes:Rs.5.00<Track on www.indiapost.gov

3-: [illegible]ष कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों मे से 16 वर्ष तक उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण नियम के तहत बार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही ~~[illegible]~~ विभिन्न अनुभागो / कार्यालयो के ही प्रशासनिक पदो मे ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण नियमो / शासनादेशो की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाये !

4-: जनपद नैनीताल मे तैनात उन सभी प्रशासनिक-अधिकारीयो / निर्वाचन से जुड़े अधिकारीयो के नाम पते / पदनामो की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावो मे भी नैनीताल जनपद मे तैनात रहे थे तथा वर्तमान मे भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयो मे तैनात है! जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नही किया जा रहा है। इन अधिकारीयो को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये!

संलग्नक
आवेदन शुल्क 10 रुपया आ०पो० के द्वारा प्रस्तुत है

5-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रयाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल मे ही निदेशक डेयरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद मे करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानांतरित नही करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नही की जा रही है तो उन कारणो का खुलासा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखिय सूचना दी जाये!

प्रार्थी

बी० सी० बृजवासी
(पत्रकार)
पता- 6/130 तल्ली बमोरी, नैनीताल रोड हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक → 13-10-2016

अनुलग्नक (3)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या/1179/XXV–12/2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार),
पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
2. बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तद्नुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या–04 मे चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्नक–यथोपरि~~।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

ालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या– 04 के माध्यम से वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

<u>पृ0संख्या 1177/XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–RTI 166 /XXX–1–16–50(85)16

देहरादून : दिनांक 08 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,
निर्वाचन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री बी0 सी0 बृजवासी (पत्रकार) पता–6/130, तल्ली बमोरी, नबाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2016 जो आपके कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 05 द्वारा वांछित सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः श्री बी0 सी0 बृजवासी का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पुनः इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महावीर सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी

संख्या–RTI 166 /XXX–1–16–50(85)16, तददिनांक।

प्रतिलिपि : श्री बी0 सी0 बृजवासी (पत्रकार)पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी नबाबी रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

Mahavsingh

(महावीर सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक ④ प्रथम अपील

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी / प्रथम
अपीलीय अधिकारी महोदय
उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय: प्रथम अपील अंतर्गत धारा (19) सू० अ० अ० 2005

महोदय,

(1) अपीलकर्ता को सूचना के अनुरोध पत्र 13-10-2016 के क्रम मे अपीलकर्ता को अपूर्ण सूचना प्रदान की गयी है। संलग्नक (1) (2)

(2) अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या (1) के क्रम मे कार्यवाही की सूचना प्रदान की जाये, प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही के आदेश टिप्पणी / निर्णय की सूचना दी जाये

(3) बिन्दु संख्या (2), (3), (4) (5) मे चाही गयी सूचना भी प्रदान नही की गयी है, उसे प्रदान कराया जाये

दि० 2-11-2016

अपीलकर्ता

बी० सी० वृजवासी

पता: 6/130 तल्ली-बमौरी
नवाबी रोड (हल्द्वानी)
(नैनीताल)

1am प्रमाण का आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

...लय अपीलीय अधिका... ...्य निर्वाचन अधिकारी,
कार्यालय देहरादून

...ल संख्या– 02/2016

अपीलकर्ताः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1395 /XXV–12/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

25/11/16

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 02/2016

अपीलकर्ता:– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1395 /XXV–12/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

25/11/16

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 02/2016

अपीलकर्ताः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2– लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी0सी0 बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

25/11/16

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1395/XXV–12/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1340 /XXV–12 /2015 देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार),
पत्ता–6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 25 नवम्बर, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 12.00 बजे दिन उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस / कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 1340 /XXV–12 / 2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(एस.ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–RTI 166 /XXX–1–16–50(85)16
देहरादून : दिनांक 8 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,
निर्वाचन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री बी0 सी0 बृजवासी (पत्रकार) पता–6/130, तल्ली बमोरी, नबाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2016 जो आपके कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 05 द्वारा वांछित सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः श्री बी0 सी0 बृजवासी का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पुनः इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

mahavsingh
(महावीर सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी

<u>संख्या–RTI /XXX–1–16–50(85)16, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि : श्री बी0 सी0 बृजवासी (पत्रकार)पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी नबाबी रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(महावीर सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1178/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

SO
RTI Act
(महावीर सिंह)
उप सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / [illegible] प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० 2005

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है!

1-: अरविन्द चौहान एवं भास्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो श्रीष कुमार वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये!

2-: अपनी सेवा के लगभग 22 वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु०मं०वि०नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी श्रीष कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलासा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणो सहित प्रदान की जाये!

3-: श्री कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों मे से 16 वर्ष तक उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण नियम के तहत वार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागो / कार्यालयो के ही प्रशासनिक पदो मे ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण नियमो / शासनादेशो की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जायें !

4-: जनपद नैनीताल मे तैनात उन सभी प्रशासनिक-अधिकारीयो / निर्वाचन से जुडे अधिकारीयो के नाम पते / पदनामो की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावो मे भी नैनीताल जनपद मे तैनात रहे थे तथा वर्तमान मे भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयो मे तैनात है ! जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नही किया जा रहा है। इन अधिकारीयो को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये !

संलग्नक ①
आवेदन शुल्क
10 रुपया
आई०पी०ओ० के रूप
प्रस्तुत है

5-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रयाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल मे ही निदेशक डेयरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानांतरित नही करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नही की जा रही है तो उन कारणो का खुलाशा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखिय सूचना दी जाये !

प्रार्थी,
बी॰सी॰ बृजवासी
(पत्रकार)

दिनांक → 13-10-2016

पता- 6/130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड हल्द्वानी (नैनीताल)

दहा रुपये · दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लो० सू० अ० कार्यालय प्रमुख सचिव (सिविल) को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डा० [illegible]
हल्द्वानी

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
देहरादून
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

सत्यमेव जयते

33F 853862

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी / प्रथम
अपीलीय अधिकारी महोदय
उत्तराखंड शासन – देहरादून

विषय:- प्रथम अपील अंतर्गत धारा (19) सू० अ० अ० 2005

महोदय,

(1) अपीलकर्ता के सूचना के अनुरोध पत्र 13-10-2016 के क्रम में अपीलकर्ता को अपूर्ण सूचना प्रदान की गयी है। संलग्नक (1)(2)

(2) अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या (1) के क्रम में कार्यवाही की सूचना प्रदान की जाये, प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही के आदेश टिप्पणी / निर्णय की सूचना दी जाये

(3) बिन्दु संख्या (2), (3), (4) (5) में चाही गयी सूचना भी प्रदान नहीं की गयी है, उसे प्रदान कराया जाये

दि० 2-11-2016

अपीलकर्ता

बी० सी० बृजवासी
पता :- 6/130 तल्ली-बमोरी
नवाबी रोड़ (हल्द्वानी)
(नैनीताल)

10/11/2016 को प्राप्त
[signature] 10/11/2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० २००५

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष १० रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है !

१-: अरविन्द चौहान एवं भास्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र ३-१०-२०१६ जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो भीष्म कुमार वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये !

२-: अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष मे से करीब १८ वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु०म०वि०नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी भीष्म कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये ! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलासा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणो सहित प्रदान की जाये !

PS:30.00, ,13/10/2016 ,10:25
Taxes:Rs.5.00<Track on www.indiapost.gov

Volvo5 (2).

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1179 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार),
पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

1. बिन्दु संख्या–01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
2. बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तद्नुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या–04 मे चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न–यथोपरि~~।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1179/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2016

सेवा में,

श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार),
पत्ता–6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
2. बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तद्नुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या–04 मे चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न–यथोपरि~~।

भवदीय,
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी / [illegible] प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
उत्तराखंड शासन - देहरादून
विषय - आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० 2005
महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है!

1-: अरविन्द चौहान एवं भास्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो शीष कुमार वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये!

2-: अपनी सेवा के लगभग 22 वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु०म०वि०नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारी शीष कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलाशा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणो सहित प्रदान की जाये!

3 -: श्रीष कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों मे से 16 वर्ष तक उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण नियम के तहत वार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही ~~विभिन्न~~ विभिन्न अनुभागो / कार्यालयो के ही प्रशासनिक पदो मे ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण नियमो / शासनादेशो की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाये !

4 -: जनपद नैनीताल मे तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयो / निर्वाचन से जुड़े अधिकारीयो के नाम पते / पदनामो की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक - सभा चुनावो मे भी नैनीताल जनपद मे तैनात रहे थे तथा वर्तमान मे भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयो मे तैनात है ! जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नही किया जा रहा है ! इन अधिकारीयो को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये !

संलग्नक (1)
आवेदन शुल्क 10 रुपया आई०पी०ओ० द्वारा प्रस्तुत है

5 -: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रयाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल मे ही निदेशक डेयरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानांतरित नही करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नही की जा रही है तो उन कारणो का खुलाशा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखिय सूचना दी जाये !

प्रार्थी,
बी० सी० बृजवासी
(पत्रकार)

दिनांक → 13-10-2016

पता - 6/130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड हल्द्वानी (नैनीताल)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1177/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या– 04 के माध्यम से वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1177/XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / [illegible]

कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० २००५

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है!

1-: अरविन्द चौहान एवं भास्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो श्रीष कुमार वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये!

2-: अपनी सेवा के लगभग 22 वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी महाप्रबन्धक कु० म० वि० नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी श्रीष कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलाशा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणो सहित प्रदान की जाये!

3 -: श्रीष कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों मे से 16 वर्ष तक उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण नियम के तहत बार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही ~~[illegible]~~ विभिन्न अनुभागो / कार्यालयो के ही प्रशासनिक पदो मे ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण नियमो / शासनादेशो की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाये !

4 -: जनपद नैनीताल मे तैनात उन सभी प्रशासनिक-अधिकारीयो / निर्वाचन से जुडे अधिकारीयो के नाम पते / पदनामो की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावो मे भी नैनीताल जनपद मे तैनात रहे थे तथा वर्तमान मे भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयो मे तैनात है ! जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नही किया जा रहा है । इन अधिकारीयो को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये !

संलग्नक (1)
आवेदन शुल्क
10 रुपया
आई०पी० ओ० द्वारा
प्रस्तुत है

5 -: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रयाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल मे ही निदेशक डेयरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानांतरित नहीं करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नही की जा रही है तो उन कारणो का खुलासा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखिय सूचना दी जाये !

प्रार्थी

बी० सी० बृजवासी
(पत्रकार)

दिनांक → 13-10-2016

पता- 6/130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड हल्द्वानी (नैनीताल)

दस टका दश टाका ৩০ ৰুপীয় ದಶ ರೂಪಾಯಿ ୧୦ ଟଙ୍କା പത്തു രൂപ दहा रुपये ૧૦ રૂપિયા दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

डाक टिकट लगाने वाले POSTAGE STAMPS

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लो० सू० अ० कार्यालय
प्रमुख सचिव (विधि) को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT देहरादून के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 853862

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1178 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1178 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता–6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / श्रीमान् प्रमुख सचिव (निर्वा०:)

कार्यालय प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखंड शासन - देहरादून

विषय - आवेदन अन्तर्गत सू०अ०अ० २००५

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष १० रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवत प्रस्तुत है !

१ -: अरविन्द चौहान एवं भाष्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र ३-१०-२०१८ जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो श्रीश कुमार वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये !

२ -: अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष मे से करीब १८ वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदो जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु०म०वि०नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्द्वानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी श्रीश कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये ! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नही किया जा रहा है तो उसका भी खुलाशा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणो सहित प्रदान की जाये !

3-: शिव कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों मे से 16 वर्ष तक उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण नियम के तहत बार-2 मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागो/कार्यालयो के ही प्रशासनिक पदो मे ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण नियमो/शासनादेशो की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराय़ी जाये!

4-: जनपद नैनीताल मे तैनात उन सभी प्रशासनिक-अधिकारीयो/निर्वाचन से जुडे अधिकारीयो के नाम पते/पदनामो की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावो मे भी नैनीताल जनपद मे तैनात रहे थे तथा वर्तमान मे भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयो मे तैनात है! जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नही किया जा रहा है। इन अधिकारीयो को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये!

संलग्नक (1)
आवेदन शुल्क
10 रुपया
आई०पी० ओ० के रूप
प्रस्तुत है

5-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रयाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल मे ही निदेशक डेयरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद मे करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानांतरित नही करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखंड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नही की जा रही है तो उन कारणो का खुलाशा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखिय सूचना दी जाये!

प्रार्थी

बी० सी० बृजवासी
(पत्रकार)

दिनांक → 13-10-2016

पता- 6/130 तल्ली बमोरी, हल्द्वानी

दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लो० सू० अ० कार्यालय
प्रमुख सचिव (विविध) को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT
देहरादून
के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 853862